

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.3(विविध)(आईडब्ल्यूएमपी)लेखा/निजभूस/2012/3668-3815

दिनांक : 22/02/13

- आदेश :-

जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3(1) के अनुसारण में राशि रु. 10.00 लाख से अधिक एवं रु. 25.00 लाख तक के कय हेतु निम्नानुसार जिला स्तर पर जिला स्तरीय कय समिति बन गठन किया जाता है :-

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3	लेखाधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4	जिला स्तर पर उद्योग विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
5	परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन)	सदस्य सचिव

उक्त कय समिति तकनीकी पहलु वाले कय के मामले में विशेषज्ञों/तकनीकी अधिकारियों को सम्मिलित कर समीची एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में उल्लेखित प्रक्रिया एवं प्रावधानों का प्रालना कर निविदा प्रकरणों को निर्णित करेगी।


शासन सचिव
पंचायती राज

क्रमांक : एफ.3(विविध)(आईडब्ल्यूएमपी)लेखा/निजभूस/2012/3668-3815

दिनांक 22/02/13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आधुक्त, उद्योग विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त)
6. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सहायकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/जीविकोपार्जन/प्रशासन/एमआईईएस/मूल्यांकन/प्रशिक्षण/पशुपालन/कृषि/एनडब्ल्यूडीपी/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)
11. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
12. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


निदेशक